कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-21.04.2024

विषय:- हत्या के मामले मे वांछित 25000/- रू0 का इनामिया शार्प शूटर अभियुक्त जावेद अहमद थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-323/2023 धारा 302/34/506/120-बी/419/420/467/468/471/201 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से संबंधित 25000/- रु0 का इनामिया अभियुक्त शूटर जावेद अहमद पुत्र अब्दुल हक नि0 चककाजी पठान टोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक-21.04.2024 को समय करीब 11.55 बजे फरीदपुर अंडरपास के पास से थाना सारनाथ वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त जावेद अहमद ने पूछताछ करने पर बताया कि जो राजकुमार यादव की हत्या हुई थी उसकी हत्या को विजय यादव व धर्मेन्द्र मौर्या द्वारा प्लान किया गया था। इस प्लान में धर्मेन्द्र मौर्या ने अहम भूमिका निभायी थी। धर्मेन्द्र मौर्या से मेरी मुलाकात जेल में हुई थी और जेल में ही धर्मेन्द्र मौर्या ने मुझसे कहा था कि मेरा एक दोस्त विजय यादव है जो कि जेल में बन्द है और उसके भाई राजकुमार यादव की हत्या करनी है, जिसके एवज में मै तुमको 1.5 लाख रुपया दूंगा। फिर मेरे जेल से छूटने के लगभग 2-3 महिने बाद जालंधर साहनी मुझसे मिला और हम लोगो ने अपने साथी रितेश उर्फ गोलू एवं मो0 अहमद के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से दिनांक- 14.07.2023 को सुबह राजकुमार यादव की लेढ़ूपुर सेंट जांस स्कूल के पहले गोली मारकर हत्या कर दी थी। मै घटना को अंजाम देने बाद मुंबई भाग गया था। हमलोग पेशेवर अपराधी हैं और पैसा लेकर यह सब काम करते हैं तथा हमारे सभी साथियों पर लगभग दर्जनो भर मुकदमें दर्ज हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- शूटर जावेद अहमद पुत्र अब्दुल हक नि0 चककाजी पठान टोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 31 वर्ष।

इनाम की राशि- 25000/- रू0।

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान- दिनांक-21.04.2024 को समय करीब 11.55 बजे फरीदपुर अंडरपास के पास से थाना सारनाथ वाराणसी से।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 338/2005 धारा 380 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

2- मु0अ0सं0 430/2009 धारा 302 भा0द0वि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- प्र0नि0 उदय प्रताप सिंह थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
2- उ0नि0 प्रदीप सिंह थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
3- उ0नि0 महेश मिश्रा थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
4- हे0का0 अरविन्द यादव 2 थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
5- का0 सौभाग्य पांडेय थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
6- का0 सौरभ तिवारी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
7- का0 त्रिपुरेश पांडेय थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
8- का0 नितेश तिवारी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
9- का0 सुरेश शुक्ला थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
10- का0 अशोक यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी